शिकायत आयोग के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का विचार भी चलाया गया ताकि दिल्ली पुलिस को उसके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाये। यह नवीनतम प्रस्ताव विचारण की अग्रिम अवस्था में है और इस मामले पर जल्दी ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

तिब्बती अनशनकारियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किया जाना

31. **श्री ईश दत्त यादवः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सोमवार, 27 अप्रैल को जन्तर-मन्तर पर धरने पर बैठे तिब्बती अनशनकारियों पर पुलिस कार्यवाही किसी दबाव के कारण या किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए की गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो कार्यवाही के लिए उक्त तिथि को ही चुनने के क्या कारण थे और उस कार्यवाही में एक अनशनकारी की हुई मृत्यु तथा उस घटना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) 6 तिब्बती राष्ट्रिक 10 मार्च, 1998 से जन्तर-मन्तर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए, एक चिकित्सा दल ने 25 अप्रैल, 1998 को उनकी जांच की और सिफारिश की कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती किया जाए। पुलिस, भूख हड़ताल पर बैठे 6 व्यक्तियों में से केवल तीन को ही 25 अप्रैल, 1998 को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जा सकी। भूख हड़ताल पर बैठे शेष तीन व्यक्तियों की एक डाक्टर द्वारा 27 अप्रैल, 1998 को पुनः जांच की गयी जिन्होंने दोहराया कि उन्हें तुरन्त अस्पताल में भर्ती करना होगा। जब एक पुलिस दल, भूख हड़ताल पर बैठे उन तीन व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के प्रयास में उन्हें जबरन ले जा रही थी तो एक तिब्बती राष्ट्रिक, जिसको बाद में थुपतेन नगुदुप उर्फ डबू-डबू के रूप में शिनाख्त की गयी, घटना स्थल के नजदीक शौचालय से आग की लपटों में घिरा हुआ अचानक बाहर आया। पुलिस ने कम्बल का प्रयोग करके लपटों को बुझाया और उसे भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। श्री थुपतेन नगुदुप 95% जल चुके थे और 28-29 अप्रैल, 1998 की रात को उन्होंने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया।

Assistance to the Dependents of Terrorist Victims

32. SHRI VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what are the details of help given to dependents of the victims of the recent murders by terrorists in Western Uttar Pradesh, Punjab and Jammu;

(b) whether it is a fact that the police protection given to some of the including the winners of a Shaurya Chakra Award from the President, has been withdrawn; and

(c) what are the steps taken by Government to protect such citizens and their families?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Encroachments by SPOs in South West District

33. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of complaints received during the period from the 1st January, 1996 to 31st August, 1997 by the Deputy Commissioner of Police (South-West district) from Area Welfare Association of the areas under his jurisdiction regarding involvement of Special Police Officers of their family members in encroachments and unauthorised expansion;

(b) if so, the action taken on each of the complaints against the involved Special Police Officers by the DCP (SW);

(c) whether it is a fact that instead of taking any action against such SPOs or the encroachments, these SPOs were allowed to continue till date; and

(d) if so, the reasons in each case?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) The Delhi Police have reported that no such complaint during the period in question was received in the South-West district.

(b) to (d) Do not arise.

गोवा तट पर अवैध हथियारों का उतारा जाना

34. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 13 मार्च, 1998 को मुंबई से "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में गोवा तट पर अवैध हथियार उतरे "शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सरकार ने कथित प्रैस रिपोर्ट देखी है। गोवा तट पर बड़े पैमाने पर शस्त्र और गोला-बारूद इत्यादि उतारने के संबंध में कोई पुष्ट सूचना नहीं मिली है।

(ग) सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा इस संबंध में उचित कदम उठा है। चौकसी बढ़ाने संबंधी सभी कार्यों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकारों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है। अन्य कदमों में आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, मौजूदा विनियमों को कड़ाई से लागू करना तथा संबद्ध केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच निकट समन्वय स्थापित करना शामिल है।

Talks with insurgents in North-East

35. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to initiate talk with the insurgents to establish peace and normalcy in the North Eastern States;

(b) if so, the steps taken in that direction; and

(c) the detailed response of the insurgent outfits thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Government are committed to hold talks with the insurgents to establish peace and normalcy in the North Eastern States. The Prime Minister in his Press Statement at Guwahati on 15th April, 1998 has stated "To all those who have strayed from the paths of togetherness, whether in Assam or other State of the North East, I extend an invitation; come forward; let us discuss, my Government is committed to holding talks to a restoration of peace; let us do so within the four corners of our Constitution."

No insurgent outfit has so far responded for talks within the parameters indicated by the Prime Minister.

आतंकवादियों द्वारा मारे गए अर्धसैनिक बलों के व्यक्ति

36. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आतंकवादियों के साथ हुए विभिन्न मुकाबलों में सीमा सुरक्षा बल तथा सैनिक व अर्धसैनिक बलों के कितने सैनिक/सिपाही मारे गये; और

(ख) आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में मारे गए ऐसे सैनिकों/सिपाहियों के परिवारजनों के पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ों में सीमा सुरक्षा बल के 425 कार्मिकों सहित केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के 738 कार्मिक मारे गए।

(ख) आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे गए कार्मिकों के परिवारों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है;

(i) केन्द्र सरकार द्वारा 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान।

(ii) केन्द्र सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना (सी०जी०ई०जी०आई०एस०) के अधीन देय बीमा राशि का भुगतान।

(iii) उदारीकृत पेंशन प्रदान करना।

(iv) अंशदायी लाभ निधि तथा विशेष राहत निधि आदि से वित्तीय सहायता।

(v) राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान।